

## विज्ञापन

बैंक विदेशी मुद्रा मध्यस्थों(ब्रोकरों) के पैनल इलेक्ट्रानिक आर्डर मैचिंग सिस्टम (ईओएमएस) और मल्टी बैंक पोर्टल (एमबीपी) की समीक्षा की प्रक्रिया में है।

इसके पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

स्वरूप	निवल मालियत
मौजूदा प्रोपराइटरशिप/साझेदारी फर्म/सीमित देयता साझेदार हेतु	रु.5.00 करोड़
मौजूदा प्राइवेट पब्लिक लि. कं. हेतु	रु. 10.00 करोड़

1. ब्रोकिंग संस्था 31.03.2018 से पूर्व कम से कम 3 वर्षों से स्थापित होनी चाहिए।
2. ब्रोकर के पास पर्याप्त आधारभूत सुविधा यथा डीलिंग रूम, ट्रेडिंग स्क्रीन होनी चाहिए।
3. ब्रोकर फेडाई द्वारा मान्यताप्राप्त एवं सेबी में पंजीकृत होना चाहिए।
4. ब्रोकर के पास आयकर पैन/टीएएन नंबर होना चाहिए।
5. संस्था और/अथवा संस्था के किसी साझेदार/निदेशक के विरुद्ध फेडाई द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाही न की गई हो/विचाराधीन न हो।

उपर्युक्त को देखते हुए यदि कोई मध्यस्थ(ब्रोकर) , इलेक्ट्रानिक आर्डर मैचिंग सिस्टम (ईओएमएस) और मल्टी बैंक पोर्टल (एमबीपी) विदेशी मुद्रा बाजार में बैंक के साथ लेनदेन करने हेतु बैंक के ब्रोकरों के अनुमोदित पैनल में शामिल होने का इच्छुक है तो उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए फार्मेट में आवेदन आवश्यक दस्तावेज के साथ भेज सकते हैं जिसका विवरण बैंक हमारी वेबसाइट [www.allahabadbank.com](http://www.allahabadbank.com) में दिया गया है।

बैंक के अनुमोदित पैनल में पहले से शामिल ब्रोकरों, ईओएमएस और एमपीबी से भी अपेक्षित है कि वे नए सिरे से सूचीबद्धता हेतु आवेदन करें।

सूचीबद्धता हेतु आवेदन 20.12.2018 को या इससे पूर्व कार्यालय समय के दौरान बैंक में पहुंच जाने चाहिए। अधूरे आवेदन और निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

कृपया नोट करें कि ब्रोकर से प्राप्त किसी और/अथवा सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का बैंक का अधिकार सुरक्षित है। अनुमोदित ब्रोकरों को व्यक्तिगत रूप से यथासमय सूचित किया जाएगा।

(पी.सी. शर्मा)

महाप्रबंधक

एकीकृत ट्रेजरी

दिनांक 20.06.2017